संख्या-12/2018/585 /78-2-2018/135आई0टी0/2017

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उ0प्र0 शासन

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 05 सितम्बर, 2018

विषय:- कम्प्यूटर के एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय/विक्रय का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1710/78-2-2016-135आई0टी0/2016, दिनांक 17 नवम्बर, 2016 कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके बिन्दु-4 में संशोधन करते हुए "विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य सम्पादन/संचालन हेतु उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध कराया जाना" के स्थान पर "विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप कम्प्यूटर के कार्यो के सम्पादन/संचालन हेतु उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध कराया जाना" पढा जाये से सम्बन्धित संशोधित शासनादेश संख्या-1703/78-2-2017-135आई0टी0/2016, दिनांक 01 अगस्त, 2017 निर्गत किया गया था।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-1703/78-2-2017-135आई0टी0/2016, दिनांक 01 अगस्त, 2017 को निरस्त करते हुए तथा शासनादेश दिनांक 17-11-2016 को संशोधित करते हुए निम्नवत व्यवस्था की जाती है:-

(1) शासनादेश संख्या-85/78-2-2011-11आईटी/2001, दिनांक18-01-2011, जिसके माध्यम से पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों का उल्लेख करते हुए निहित प्राविधानों के अनुसार कम्प्यूटर के एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय/ विक्रय प्रक्रिया का निर्धारण से संबंधित निर्देश किये गये है, के क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि समस्त प्रकार के कम्प्यूटर के साफ्टवेयर क्रय/ विकास के अतिरिक्त निम्न कार्य भी आच्छादित है:-

(2) डाक्यूमेंट, आडियो, वीडियों, माईक्रोसाफ्ट फिल्म इत्यादि डिजिटाईजेशन (स्कैनिंग) इण्डेक्सिंग एवं इसस सम्बन्धित समस्त कार्य।

(3) डाटा अपलोडिंग/ डाउनलोडिंग एवं इससे सम्बन्धित समस्त कार्य।

(4) काल सेंटर की स्थापना, संचालन एवं इससे सम्बन्धित समस्त कार्य।

(5) विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य सम्पादन/संचालन हेतु उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध कराया जाना। जनशक्ति के चयन में सम्बन्धित विभाग की भागीदारी होगी तथा Eligibility की शर्ते भी उनसे विचार-विमर्श कर निर्धारित की जायेगी।

(6) उपरोक्त समस्त कार्य विभाग के अन्तर्गत कार्यरत संस्थाओं यथा- यूपीडेस्को, यूपीएलसी, श्रीट्रान इंडिया लि0 तथा अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 के माध्यम से कराया जा सकता है।

3- उक्त शासनादेश संख्या-1710/78-2-2016-135आई0टी0/2016, दिनांक 17 नवम्बर, 2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अक्षरश: कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
आलोक सिन्हा
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या 12/2018/**585(1)/78-2-2018तददिनांक**

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल।
2- प्रमुख सचिव//सचिव, विधान सभा सचिवालय, उ0प्र0।
3- प्रमुख सचिव/सचिव, विधान परिषद सचिवालय, उ0प्र0।
4- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5- महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6- मुख्य कोषाधिकारी आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
8- एस0आई0ओ0 एनआईसी, लखनऊ।
9- प्रबंध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्को/श्रीट्रान इंडिया लि0/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(हरी राम)
उप सचिव

http://shas n desh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।